न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 43/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. मदनलाल पिता मनोहरलाल जी तेली, निवासी 43, भ्रमपोल के अन्दर, जाड़ा गणेश जी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती किरण सिंघल पुत्री मनोहरलाल जी तेली, निवासी 43, भ्रमपोल के अन्दर, जाड़ा गणेश जी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मनोहरलाल पिता कालूलाल जी तेली, निवासी 43, कलालिया तालाब के पास, भ्रमपोल के अन्दर, जाड़ा गणेश जी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 23.03.2021 प्र.सं. 5/2021

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मानाराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री सलीम खान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभि. रे. सं. 2

–––:::–––

निर्णय **दिनांक 27–07–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिसारमा की जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में वाद पत्र की परिशिष्ट ''क'' में अंकित आराजी नंबर 2738, 3739, 2750, 2751 किता 4 रकबा 0.2850 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी के पिता मनोहरलाल प्रतिवादी संख्या 1 का 3/16 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार वाद पत्र की परिशिष्ट ''ख'' में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 2752 रकबा 0.0350 हैक्टर में वादी के पिता का 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त समस्त आराजियात मौरूसी होकर वादीगण के दादा कालूलाल जी के खाते की थी, जिनकी मृत्यु के बाद विरासत से उनके पुत्र मनोहरलाल, भंवरलाल, गोवर्धनलाल एवं पत्नी बसन्तीबाई के नाम दर्ज हुई। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल के पुत्र एवं पुत्री हैं। इस प्रकार परिशिष्ट ''क'' की आराजियात में वादीगण प्रत्येक का 3/48, 3/48 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 3/48 हिस्सा है एवं इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की आराजियात में वादीगण प्रत्येक का 1/16, 3/16 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 3/16 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 शराब पीने के आदी होने से आये दिन वादीगण से लड़ाई झगड़ा करते हैं एंव भूमि हस्तान्तरण की धमकी देते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित परिशिष्ट ''क'' की आराजियात में वादीगण प्रत्येक को 3/48, 3/48 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 3/48 हिस्से का तथा परिशिष्ट ''ख'' की आराजियात में वादीगण प्रत्येक को 1/16, 1/16 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं विवादित आराजियात विक्रय हस्तान्तरण एवं विक्रय इकरार नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम नहीं की गयी तथा उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23–03–2021 से वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–06–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री सलीम खान उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत के कारण धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन भी सशपथ प्रस्तुत किया गया एवं अपील लॉक डाउन के कारण विलम्ब से प्रस्तुत करना बताया।

हमने उक्त आवेदन एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपील में करीब एक माह से भी कम विलम्ब हुआ है, [illegible] करीब डेढ़ माह तक लॉकडाउन

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested

रहा। तद्नुसार अपीलान्ट ने जो विलम्ब का कारण बताया है वह उचित प्रतीत होने से धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद मानी जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को अपने वाद को साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि पैत्रृक सम्पत्ति में चार पीढ़ी पहले तक पुरूषों की वैसी अर्जित सम्पत्तियां आती हैं, जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन यहां तो वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि वादीगण के दादा को सम्पत्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त कथन उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 2018 सी जे (पार्टीशन) पेज 304 के पैरा 7 में स्पष्ट व्याख्या दी है कि कोई भी सम्पत्ति जो पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता अर्थात दादा आदि के पुरूष वंश की पीढ़ियों से न्यागत होती है, उसे पैत्रृक सम्पत्ति माना जाता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट की बहस से सहमति प्रकट की, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2018 CJ (Partition) पेज 304 के पैरा नंबर 7 में माननीय सुप्रिम कोर्ट ने मग्गामल थुलासी व अन्य बनाम टी बी राजू व अन्य के मामले में हिन्दु विधि – पैत्रृक सम्पत्ति कौन सी है ? कि स्पष्ट व्याख्या करते हुए अंकित किया है कि कोई भी सम्पत्ति जो पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता अर्थात दादा आदि के पुरूष वंश की पीढ़ियों से न्यागत होती है, उसे पैत्रृक सम्पत्ति माना जाता है। वादीगण ने भी विवादित आराजियात अपने दादा से अपने पिता को प्राप्त होना दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है, जिसे स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 ने भी स्वीकार किया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात वादी के दादा को कहां से प्राप्त हुई का अंकन करते हुए विवादित भूमि को मौरूसी नहीं मानकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी साक्ष्यों एंव माननीय सुप्रिम कोर्ट के उक्त निर्णय अनुसार विवादित आराजियात वादीगण की मौरूसी होना बखूबी साबित हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–03–2021 अपास्त की जाती है तथा अपीलान्ट/वादीगण को वाद पत्र के परिशिष्ट ''क'' में अंकित आराजी नंबर 2738, 3739, 2750, 2751 किता 4 रकबा 0.2850 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक को 3/48, 3/48 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 3/48 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' में अंकित आराजी नंबर 2752 रकबा 0.0350 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक को 1/16, 1/16 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजियात का विक्रय हस्तान्तरण अथवा विक्रय इकरार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम.एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

मदनलाल पिता मनोहरलाल जी तेली, निवासी 43, भ्रमपोल के अन्दर, जाड़ा गणेशजी, तहसील गिर्वा व अन्य बनाम **मनोहरलाल पिता कालूलालजी तेली, नि0 43, कलालिया तालाब के पास, जाड़ा गणेश जी, तह0 गिर्वा व अन्य**

अपील नं.....**43/2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**23**.....माह.....**03**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**07**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मानाराम डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्रीसलीम खान**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–03–2021 अपास्त की जाती है तथा अपीलान्ट/वादीगण को वाद पत्र के परिशिष्ट ''क'' में अंकित आराजी नंबर 2738, 3739, 2750, 2751 किता 4 रकबा 0.2850 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक को 3/48, 3/48 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 3/48 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' में अंकित आराजी नंबर 2752 रकबा 0.0350 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक को 1/16, 1/16 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजियात का विक्रय हस्तान्तरण अथवा विक्रय इकरार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करें।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये.....**X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**07**.....**2021** को जारी किया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:37 IST
Reason: SelfAttested